प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन ऐतिहासिक धरोहर की थीम पर होगा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की

जयपुर, 16 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसंबर) का आयोजन राजस्थान की ऐतिहासिक और वैभवशाली धरोहर की थीम पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देश और विदेश से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से भी अवगत कराया जाए।

शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जयपुर में होने वाले इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति की झलक भी दिखाई जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रवासी राजस्थानियों को राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की सफल ग्राउंड ब्रेकिंग की उपलब्धियों से अवगत कराएं तथा इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार करें।

शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स से आने वाले आगन्तुकों

मुख्यमंत्री भजनलाला शर्मा

- **मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रवासी राजस्थानियों को राइज़िंग राजस्थान के एमओयू की सफल ग्राउण्ड ब्रेकिंग की उपलब्धियों से अवगत करायें।**

की कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में जानकारी ली तथा जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों, पर्यटन केन्द्रों और महत्वपूर्ण स्थलों की भी जानकारी दी जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सीजेआई पर हमलाः केस की तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

पीठ ने यह सूचित किये जाने पर कि अटॉर्नी जनरल ने अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है, कहा कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से एक और प्रकरण शुरू हो सकता है।

पीठ ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं इस मामले को बंद करने का फैसला किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने मामले की तत्काल सुनवाई (शुक्रवार 17 अक्टूबर को) की मांग की क्योंकि जूता फैंकने वाले दिल्ली के उस अधिवक्ता ने कोई पछतावा नहीं जताया है और अपने कृत्य को उचित ठहराया है।

स्कॉर्पियो-ट्रेलर भिड़ंत में चार युवक जिंदा जले

आमने-सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। चालक की स्थिति गंभीर

बालोतरा, 16 अक्टूबर (निसं)। सिणधरी पुलिस थाना क्षेत्र के सडा गांव के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

देर रात करीब 12 बजे मेगा हाईवे पर सडा से आगे गुड़ामालानी की तरफ यह हादसा एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर (ट्रक) की आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत के कारण हुआ, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुड़ामालानी (बाड़मेर) के डाबड़ निवासी पांच युवक किसी काम से सिणधरी गए थे। रात करीब 12 बजे के बाद वे अपनी स्कॉर्पियो से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। गुड़ामालानी में अपने घर से महज 30 किलोमीटर पहले सडा गांव के निकट मेगा हाईवे पर उनकी स्कॉर्पियो सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई।

- **रात बारह बजे करीब गुड़ामालानी के पाँच युवक सिणधरी से वापस लौट रहे थे। घर से मात्र 30 किलोमीटर पहले सड़ा गाँव में यह हादसा हो गया।**

टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुर्भाग्यवश, स्कॉर्पियो में सवार चार युवक आग की चपेट में आ गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। चारों लोगों की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई।

हादसे में मरने वालों की पहचान मोहन सिंह (35) पुत्र धूडसिंह, शंभू सिंह (20) पुत्र दीप सिंह, पांचाराम (22) पुत्र लुम्बाराम और प्रकाश (28) पुत्र सांपाराम के रूप में हुई है।

स्कॉर्पियो चालक दिलीप सिंह इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत बालोतरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही, देर रात को ही प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने वालों में जिला कलेक्टर सुशील यादव, एसपी रमेश, एडीएम भुनेश्वर सिंह चौहान, डिप्टी सिवाना नीरज शर्मा सहित, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल थे।

अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

सिणधरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक घटना से गुड़ामालानी के डाबड़ गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

'कोटपुतली नगर निगम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में नोटिस जारी किए थे परन्तु अनौपचारिक तरीके से डर और दबाव का माहौल बनाया गया था। इन याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए हाइ कोर्ट ने तत्कालीन नगर परिषद को आदेश दिए थे कि वह कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व सभी प्रभावित पार्टियों को नोटिस भेजे और आपत्तियां सुनने के बाद ही कार्यवाही करे।

हैरानी की बात है कि 10 महीनों के भीतर ही तत्कालीन नगर परिषद ने तोड फोड की कार्यवाही को पूरी तरह अंजाम दिया। परन्तु याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें नगर परिषद द्वारा आपत्तियां सुनने के लिए कभी कोई नोटिस दिया ही नहीं गया। दूसरी ओर नगर परिषद उक्त सडक को चौडा करने और मास्टर प्लान में फेर बदल करने के पक्ष में अदालत में कोई तर्क या तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। क्योंकि सडक चौडी करने और शहर के "मास्टर प्लान" में फेर बदल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे, नगर परिषद द्वारा लिए गए फैसले और उसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का दस्तावेज मौजूद ही नहीं था। इस कार्यवाही के खिलाफ याचिकार्ताओं ने अदालत का दरवाजा पुनः खटखटाया अदालत को स्पष्ट रूप से बताया गया कि 150 मकानों और दुकानों , जिनको ध्वस्त किया गया है, उनमें से कई मकान मालिकों के पास खेतडी महाराज द्वारा दिए गए पट्टे थे, कई याचिकाकर्ताओं को नगर परिषद व पंचायत ने ही पट्टे दिए थे और कुछ ही याचिकार्ताओं के पास मकान या दुकान की भूमि का पट्टा नहीं था परन्तु वह अस्थाई अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते।

अदालत ने एन याचिकार्ताओं को राहत देते हुए कहा था कि एक कमेटी गठित हो जो नगर परिषद द्वारा करी गई कार्यवाही की जांच करे और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हालांकि अभी तक उक्त कमेटी का गठन हुआ है कि नहीं और आयुक्त कमेटी ने नगर परिषद से जवाब मांगा है कि नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है। परन्तु मूल याचिकाकर्ताओं में से तीन याचिकाकर्ता हरि प्रसाद शर्मा, गोविंद नारायण शर्मा और अरविंद कुमार भारद्वाज ने अदालत में स्पेशल रिट याचिका दायर की है।

इस स्पेशल रिट याचिका के जवाब में कोटपुतली नगर निगम द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने कहा है कि कोटपुतली को जिला घोषित करने के बाद से वह ट्रैफिक बढ़ गया है और जिस वजह से वह ट्रैफिक जाम बढ़ गए हैं, मुख्यतया मार्केट एरिया में। इसलिए सडक चौडा करने के पक्ष में फैसला लिया गया था। अदालत ने इस जवाब पर कडी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोटपुतली को वर्ष 2023 में ही एक जिला घोषित किया गया है और उससे कुछ समय पूर्व ही वहां नगर निगम का गठन किया गया था तथा मकानों में तोड़ फोड़ करने की कार्यवाही 2021 में की गई थी जिसका फैसला तत्कालीन नगर परिषद ने किया था। और नगर परिषद द्वारा लिए गए फैसले को सही ठहराने के पक्ष में वर्तमान नगर निगम द्वारा कोई भी तर्क या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, नगर निगम का जवाब पूर्णतया अस्पष्ट और गोलमोल है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि तोड फोड की कार्यवाही प्रथम दृष्टया गैर कानूनी ही थी।

एक दिन में 298 नक्सलियों का रिकॉर्ड सरेन्डर

जगदलपुर, 16 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों का सरेंडर जारी है, लेकिन गुरुवार को नक्सलियों के हथियार डालने का एक अलग ही रिकॉर्ड बना है। एक ओर बीजापुर जिले में 158 तो वहीं, दंतेवाड़ा जिले में 140 नक्सलियों ने जंगल का रास्ता छोड़ दिया है। इनके अलावा एक दिन पहले ही कांकेर और सुकमा जिले में 77 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया है कि आत्मसमर्पण करने वालों का स्वागत है, लेकिन हथियार थामे रहने वालों को सुरक्षाबलों का सामना करना पड़ेगा। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सली कई बसों से पहुंचे।

दस में से सात अमेरिकी मानते हैं कि ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहायता नहीं देते। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा की पारंपरिक खूबियाँ - आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान - भी संदेह के घेरे में हैं; 49 प्रतिशत उत्तरदाता इन क्षेत्रों में कॉलेजों को सामान्य या खराब रेटिंग देते हैं।

कभी अकादमिक जीवन की पहचान रही कैम्पस में "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" भी अब विवाद का विषय बन गई है। लगभग 45 प्रतिशत अमेरिकियों का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों को विभिन्न विचारों से परिचित नहीं कराते, जबकि 46 प्रतिशत मानते हैं कि छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त रुप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र - जो महामारी के बाद से और गंभीर मुद्दा बन गया है में 46 प्रतिशत का कहना है कि कॉलेज संकट में फंसे छात्रों की मदद करने में "सामान्य या खराब" प्रदर्शन करते हैं, जबकि एक चौथाई उत्तरदाता इस पर निश्चित नहीं हैं। केवल एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ विश्वविद्यालय अभी भी तुलनात्मक रूप से मजबूत माने जाते हैं - अनुसंधान और नवाचार और 27 प्रतिशत उत्तरदाता इसे "उत्कृष्ट" या बहुत अच्छा बताते हैं, हालांकि 32 प्रतिशत इसे सामान्य या खराब भी मानते हैं।

हालाँकि असंतोष व्यापक है, लेकिन इसमें स्पष्ट राजनीतिक रंग भी हैं। रिपब्लिकन और उनके समर्थक (77 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स और उनके समर्थकों (65 प्रतिशत) की तुलना में अधिक मानते हैं कि उच्च शिक्षा गलत दिशा में जा रही है। फिर भी, 2020 से दोनों पक्षों के बीच यह अंतर काफी घटा है, जिससे संकेत मिलता है कि अब अविश्वास केवल दक्षिणपंथी विचारधारा तक सीमित नहीं है।

रिपब्लिकन, विशेष रुप से, विचारधारा और नौकरी की तैयारी से जुड़े मुद्दों पर कड़ी आलोचना करते हैं, डेमोक्रेट्स की तुलना में। उनके द्वारा कॉलेजों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने (65 प्रतिशत बनाम 33 प्रतिशत), छात्रों को अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए तैयार करने (64 प्रतिशत बनाम 47 प्रतिशत), और विविध दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने (61 प्रतिशत बनाम 29 प्रतिशथ) में खराब प्रदर्शन करने की संभावना 15-30 प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स वित्तीय सहायता के मामले में थोडे अधिक आलोचनात्मक हैं, 55 प्रतिशत कहते हैं कि विश्वविद्यालय ज़रूरतमंद छात्रों की मदद में कमी रखते हैं, जबकि रिपब्लिकन में यह आंकड़ा 49 प्रतिशत है।

लेकिन एक मुद्दे पर पूरा अमेरिका एकमत है, कॉलेज की लागत का बोझ। दोनों दलों के अधिकांश समर्थक मानते हैं कि खर्च असहनीय है और विश्वविद्यालय इस संकट को सुलझाने में नाकाम रहे हैं।

प्यू के नवीनतम निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि अमेरिकी जनता उच्च शिक्षा के वादे को अब किस नज़र से देखती है। कभी समृद्धि और सामाजिक प्रगति का निश्चिंत मार्ग मानी जाने वाली कॉलेज शिक्षा अब निराशा, संदेह और आक्रोश का कारण बन गई है। नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिए संदेश स्पष्ट है, विश्वविद्यालयों में विश्वास बहाल करना केवल आर्थिक सुधारों से संभव नहीं होगा; इसके लिए यह पुनर्विचार ज़रूरी है कि 21वीं सदी के अमेरिका में उच्च शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में क्या होना चाहिए।

जैसलमेर बस अग्निकांड में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

या निवास स्थान तक पहुंचाया जाए। जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक सरकारी कर्मचारी एवं एक पुलिस कांस्टेबल को भेजा जा रहा है, ताकि मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो। प्रशासन की प्राथमिकता है कि इस कठिन समय में प्रत्येक परिजन को हरसंभव सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए।

डीएनए परीक्षण के पश्चात् एम्स हॉस्पिटल में रखे 9 मृतकों के शव एवं महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में रखे 9 शवों की पहचान की जा चुकी है।

एम्स अस्पताल में रखे शव, जितेश चौहान, महेन्द्र (लवारण), खुशी (लवारण), इरफान खान (बम्बोरों की ढाणी), बरकत खान (बासनपीर), शाहरूख खान (चाम्पला), अयुब खान (बासनपीर), बसीरा (बासनपीर) जसु (कोटड़ी) के हैं।

महात्मा गांधी अस्पताल में रखे शव स्वरूप (जोधपुर), गोपीलाल (लाठी), जोगराज सिंह (झलारिया), पार्वती (लवारण), दीक्षा (लवारण), शौर्य (लवारण), दीपक (जैसलमेर), राजेन्द्र सिंह चौहान (जैसलमेर) और हसीना (बम्बोरों की ढाणी) के हैं।

कुल 19 शवों में से एक शव पर अभी तक किसी ने भी दावा नहीं किया है, जो एम्स अस्पताल में रखा हुआ है।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को जैसलमेर बस दुखांतिका में किसी लापता व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल संपर्क करें।

इस भीषण हादसे में जैसलमेर के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान (50) की भी मौत हो गई। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार जैसलमेर में किया गया, जहां उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी।

भारत व भारत के मित्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय प्रधानमंत्री "महान व्यक्ति" हैं।

ट्रम्प के इन बयानों ने, पर्दे के पीछे की गतिविधियों पर संदेह पैदा कर दिया, जिसके बाद भारत की ओर से तुरंत आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया गया। यह दूसरा अवसर है, जब भारत ने ट्रम्प के किसी बयान का सीधे तौर पर खंडन किया है।

इसी बीच रूस ने भी बयान जारी कर कहा है कि वह अपने ख़रीदारों की ऊर्जा खरीद नीतियों में कभी दखल नहीं देगा। भारत में रूस के राजदूत ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का लम्बा इतिहास है और वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में उथल-पुथल के दौरान रूसी तेल आपूर्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया है।

दूसरी ओर, यूनाइटेड किंगडम ने एक भारतीय कंपनी पर रूस से कच्चा तेल आयात करने के कारण अपने एकतरफा प्रतिबंध लागू किए हैं। इस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2014 में लगभग 5 अरब डॉलर का रूसी तेल आयात किया था। ब्रिटेन ने कई चीनी कंपनियों पर भी रूसी तेल के कारोबार में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और भारत की इस कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए कहा है कि ब्रिटिश सरकार के ऐसे एकतरफा कदमों को भारत मान्यता नहीं देता। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार की इस कार्रवाई की निंदा की है।

ट्रम्प ने जहाँ बार-बार भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर निशाना साधा है, वहीं उन्होंने चीन के निरंतर रूसी तेल आयात पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने चीन पर वैसे शुल्क नहीं लगाए, जैसे भारत पर लगाए गए।

भारतीय आयात पर भारी शुल्क लगाने के बावजूद, भारत अपने रूसी तेल व्यापार से पीछे नहीं हटा है। बल्कि, समय के साथ भारत के रूसी तेल आयात में और वृद्धि हुई है।

ट्रम्प यूरोपीय संघ (ई.यू.) के उन सदस्य देशों को भी दंडित नहीं कर पाए, जो आज भी रूसी ऊर्जा उत्पादों का आयात जारी रखे हुए हैं। आज भी यूरोपीय संघ द्वारा रूस से की जाने वाली ऊर्जा खरीद भारत से कहीं अधिक है। यूरोपीय देश अब भी रूस के साथ अपने गुप्त संपर्क बनाए हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से बिहार मतदाता सूची को दोबारा प्रकाशित करने को कहा

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में गुरुवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि चुनाव आयोग टाइपोग्राफ़िकल त्रुटियों और अन्य गलतियों की जाँच के साथ सुधारात्मक उपाय करते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ कहा कि वह बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) से संबंधित कानूनी मुद्दों पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी।

पीठ के समक्ष चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई है। आयोग ने दावा किया कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया "सटीक" थी और याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए केवल "झूठे आरोप" लगाने से संतुष्ट हैं। गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एक मतदाता द्वारा यह दावा किए जाने का विवरण कि उसका नाम अंतिम सूची में नहीं जोड़ा गया था, सच है।

विकासशील इंसान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करते हुए, 60 सीटों की मांग की थी और यह सार्वजनिक घोषणा भी चाहते थे कि महागठबंधन की जीत की स्थिति में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बाद में उन्होंने अपनी मांग घटाकर 40 और फिर 30 सीटों तक कर दी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें 15 सीटों का अंतिम प्रस्ताव दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि इनमें से 9 सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार उतारेगी, जो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।

सहनी को यह लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और इसका असली कारण यह है कि 2020 के चुनावों के विपरीत, इस बार उनके पास एनडीए में जाने का विकल्प भी नहीं रहा है। एनडीए के घटक दल (भाजपा, जदयू, हम और आरएलपी) पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। इसलिये सहनी को अंतिम क्षण में समायोजित करना एनडीए के लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में, सहनी के सामने अब सिर्फ ये विकल्प बचे हैं, अपने बल पर चुनाव लड़ना, अपने दल का विलय असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जैसी छोटी पार्टियों में करना, या फिर राजद की नाराज़गी को स्वीकार कर जो ऑफर मिला है, उसी पर राज़ी हो जाना। सहनी के पास समय बहुत कम है।

सीट बंटवारे की प्रक्रिया सहज रूप से पूरी न होने का एक बड़ा खतरा यह है कि गठबंधन के घटक दल ज़मीनी स्तर पर एक-दूसरे के वोटों का स्थानांतरण नहीं करा पाएंगे।

इस बीच, खबर लिखे जाने तक मुकेश सहनी ने मीडिया से बात नहीं की थी।

5 साल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दुष्कर्म और हत्या के बाद दोनों ने बच्ची के मां बाप को कॉल करके छह लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती मांगने के बाद पुलिस सतर्क हुई और पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। निखिल और अमित की निशानदेही पर बच्ची का शव सरसों के खेत से बरामद किया था। कोर्ट ने का केस काफी गंभीर माना और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत और गवाही के आधार पर दोनों को फांसी की सजा का फैसला सुनाया है।

गुजरात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंत्रिमंडल के लगभग 5 मंत्रियों को बरकरार रखे जाने की उम्मीद है जबकि कई पुराने चेहरों का पत्ता कट सकता है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908